भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2531
बुधवार, दिनांक 07 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना</u>

2531. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री विजय बघेलः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के कार्यक्रम की क्या स्थिति है; और

(ग) प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल मिलाकर 195.01 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई है, जिसमें 85.47 गीगावाट सौर विद्युत, 46.66 गीगावाट पवन विद्युत, 10.95 गीगावाट जैव विद्युत और 51.93 गीगावाट जल विद्युत शामिल है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 से अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, दिनांक 31.07.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1.29 करोड़ आवासीय उपभोक्ताओं ने योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से रूफटॉप सौर स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखाई है, जिनमें से 15.65 लाख उपभोक्ताओं ने आवेदन जमा कर दिया है और 2.49 लाख स्थापनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अनुलग्नक

"प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2531 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख उपाय, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में भी सहायता करेंगे, में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

i. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हरित ऊर्जा कारिडोर योजना, अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास आदि जैसी प्रमुख योजनाओं/पहल की शुरुआत की गई।

ii. ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन और पवन-सौर परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iii. समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

iv. सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश तथा मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम जारी किए गए हैं।

v. तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रेजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2030 तक के लिए ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।

vi. हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी की गई।

vii. एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।

viii. वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए: एसईसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावॉट/वर्ष की आरई विद्युत बोलियों के लिए ट्राजेक्टरी की अधिसूचना।

ix. दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं में सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक तथा अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों में छूट।

x. आरई खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) ट्राजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है, जिसमें विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा के लिए अलग आरपीओ शामिल है।

xi. ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति।

xii. हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी की गई।

*****